भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
असाधारण, भाग-III, खंड 4
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

संख्या आरजी-13/1/(1)/2023-एडीवी_एफईए-I – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित आदेश करता है, नामत: -

दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024
(2024 का 2)

1. **संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ:-**

(1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के बाद लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खंड 2 में –

(i) उप-खण्ड (da) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-खण्ड (ma) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विजय कुमार

(विजय कुमार)

सलाहकार, एफ एंड ईए

सलाहकार/Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar

टिप्पणी 1. - दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, दिनांक 09 मार्च, 1999, अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :-

संशोधन सं.	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1ला	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.03.1999
2रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.05.1999
3रा	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.05.1999
4था	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.07.1999
5वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 17.09.1999
6वां	301-4/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.09.1999
7वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.03.2000
8वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 31.07.2000
9वां	301-8/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.08.2000
10वां	306-1/99-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 09.11.2000
11 वां	310-1(5)/भादूविप्रा -2000 दिनांक 25.01.2001
12 वां	301-9/2000-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 25.01.2001
13 वां	303-4/भादूविप्रा -2001 दिनांक 01.05.2001
14 वां	306-2/भादूविप्रा -2001 दिनांक 24.05.2001
15 वां	310-1(5)/भादूविप्रा -2000 दिनांक 20.07.2001
16 वां	310-5(17)/2001-भादूविप्रा (ईकॉन)दिनांक 14.08.2001
17 वां	301/2/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 22.01.2002
18 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 30.01.2002
19 वां	303/3/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 28.02.2002
20 वां	312-7/2001-भादूविप्रा (इकॉन) 14.03.2002
21 वां	301-6/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 13.06.2002
22 वां	312-5/2002-भादूविप्रा (इको) दिनांक 04.07.2002
23 वां	303/8/2002-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 06.09.2002
24 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 24.01.2003
25 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 12.03.2003
26 वां	306-2/2003-इकॉन दिनांक 27.03.2003
27 वां	303/6/2003-भादूविप्रा (ईकॉन) दिनांक 25.04.2003

विजय कुमार/Vijay Kumar
सलाहकार/Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

विजय कुमार

28 वां	301-51/2003-इकॉन दिनांक 05.11.2003
29 वां	301-56/2003-इकॉन दिनांक 03.12.2003
30 वां	301-4/2004(ईकॉन) दिनांक 16.01.2004
31 वां	301-2/2004-इको दिनांक 07.07.2004
32 वां	301-37/2004-ईको दिनांक 07.10.2004
33 वां	301-31/2004-ईको दिनांक 08.12.2004
34 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 11.03.2005
35 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 31.03.2005
36 वां	312-7/2003-इको दिनांक 21.04.2005
37 वां	312-7/2003-ईको दिनांक 02.05.2005
38 वां	312-7/2003-ईको दिनांक 02.06.2005
39 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 08.09.2005
40 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 16.09.2005
41 वां	310-3(1)/2003-इको दिनांक 29.11.2005
42 वां	301-34/2005-ईको दिनांक 07.03.2006
43 वां	301-2/2006-इको दिनांक 21.03.2006
44 वां	301-34/2006-इको दिनांक 24.01.2007
45 वां	301-18/2007-ईको दिनांक 05.06.2007
46 वां	301-36/2007-इको दिनांक 24.01.2008
47 वां	301-14/2008-इको दिनांक 17.03.2008
48 वां	301-31/2007-ईको दिनांक 01.09.2008
49 वां	301-25/2009-ईआर दिनांक 20.11.2009
50 वां	301-24/2012-ईआर दिनांक 19.04.2012
51 वां	301-26/2011-ईआर दिनांक 20.04.2012
52 वां	301-41/2012-एफ&ईए दिनांक 19.09.2012
53 वां	301-39/2012-एफ&ईए दिनांक 01.10.2012
54 वां	301-59/2012-एफ&ईए दिनांक 05.11.2012
55 वां	301-10/2012-एफ&ईए दिनांक 17.06.2013
56 वां	301-26/2012-ईआर दिनांक 26.11.2013
57 वां	312-2/2013-एफ&ईए दिनांक 14.07.2014
58 वां	312-2/2013-एफ&ईए दिनांक 01.08.2014

विजय कुमार/Vijay Kumar
सलाहकार/Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar

विजय कुमार

59 वां	310-5 (2)/2013-एफ&ईए दिनांक 21.11.2014
60 वां	301-16/2014-एफ&ईए दिनांक 09.04.2015
61 वां	301-30/2016-एफ&ईए दिनांक 22.11.2016
62 वां	301-30/2016-एफ&ईए दिनांक 27.12.2016
63 वां	312-1/2017-एफ&ईए दिनांक 16.02.2018
64 वां	301-20/2018-एफ&ईए दिनांक 24.09.2018
65 वां	301-03/2020-एफ&ईए दिनांक 03.06.2020
66 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 27.01.2022
67 वां	सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 दिनांक 31.03.2022
68 वां	सी/(5)/2021-एफईए-II दिनांक 07.04.2022
69 वां	सी/(2)/2021-एफईए-I दिनांक 06.12.2022

टिप्पणी 2- व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या किया गया है।

विजय कुमार

विजय कुमार/Vijay Kumar
सलाहकार/Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
...lecom Regulatory Authority of India
...-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
.ower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

<u>व्याख्यात्मक ज्ञापन</u>

क) प्रस्तावना और पृष्ठभूमि:

1. प्राधिकरण ने सितंबर 2022 से नवंबर 2022 के बीच दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ और संबंधित मुद्दों के संबंध में एक उपभोक्ता सर्वेक्षण आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य निम्न को सम्झना था:
   - वास्तव में टैरिफ के विकास पर उपभोक्ताओं की राय ।
   - टैरिफ आदेश में शामिल उपभोक्ता संरक्षण विनियमों की प्रभावशीलता।
   - टैरिफ ऑफ़र के प्रकाशन में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा दिए गए विज्ञापन में पारदर्शिता ढांचे की प्रभावशीलता।

2. भादूविप्रा ने उपभोक्ताओं, टीएसपी, संघों और अन्य हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दिनांक 26 जुलाई, 2024 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया। यह पत्र विशेष रूप से वाउचर की वैधता को संबोधित करता है, विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी) और कॉम्बो वाउचर (सीवी) पर वर्तमान 90 दिनों की सीमा की समीक्षा करने की आवश्यकता का पता लगाता है और यह मूल्यांकन करता है कि क्या विशिष्ट उपभोक्ता खंड एसटीवी और सीवी के लिए विस्तारित वैधता से लाभान्वित हो सकते हैं।

ख) हितधारकों से प्राप्त जवाब:

1. परामर्श पत्र के जवाब में एसोसिएशनों, टीएसपी, व्यक्तियों और उपभोक्ता समूहों का प्रतिनिधित्व करने वालों से कुल 41 टिप्पणियाँ और 5 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को एक ऑनलाइन खुला मंच चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया गया था। खुला मंच चर्चा (ओएचडी) के पश्चात कुछ अतिरिक्त फीडबैक भी प्राप्त हुए।

2. एसटीवी और कॉम्बो वाउचर की वैधता बढ़ाने के मुद्दे पर, अधिकांशतः हितधारकों ने मौजूदा 90 दिनों से आगे की सीमा बढ़ाने का समर्थन किया। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने तर्क दिया कि विकसित हो रहे दूरसंचार परिदृश्य को देखते हुए 90-दिन की सीमा पुरानी हो चुकी है, और कई स्टैकहोल्डर्स इस बात पर सहमत थे कि लंबी वैधता से उपभोक्ताओं को बार-बार रिचार्ज करवाने से राहत मिलेगी।

हितधारकों के विचारों और मौजूदा प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात, जो डेटा-ओनली पैक को 365 दिनों तक की वैधता की अनुमति देता है, प्राधिकरण का विचार है कि एसटीवी और सीवी के लिए वैधता सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 365 दिन किया जाए। 365 दिनों तक की लंबी अवधि के रिचार्ज से बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तथापि, सेवा प्रदाता यदि चाहें तो कम वैधता वाले पैक पेश करने का विकल्प यथावत रख सकते हैं।

विजय कुमार/Vijay Kumar
सलाहकार/Advisor
भारतीय दूरसंचार वि
Telecom Regulatory Authority
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29

विजय कुमार

अस्वीकरण: यह दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 का हिंदी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी में लिखा गया दूरसंचार टैरिफ (सत्तरवां संशोधन) आदेश, 2024 मान्य होगा।

****

विजय कुमार

विजय कुमार/Vijay Kumar
सलाहकार/Advisor
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
Telecom Regulatory Authority of India
टॉवर-एफ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-29
Tower-F, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-29